


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(984)/2018/ दिनांक:-

आदेश


निदेशालय के आदेश क्रमांक 259 दिनांक 14.02.2017 (क्रम संख्या 02 पर अंकित) द्वारा श्रीमती हेमलता चौहान, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), उपकेन्द्र कललिया, खण्ड रायपुर (जिला पाली) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत दिनांक 04.03.2017 से 04.09.2017 तक 185 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(984)/2018/1735 दिनांक:- 08/08/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रायपुर (जिला पाली)।
3. प्रधानाचार्य, पूजा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ब्यावर, अजमेर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर